भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1204

दिनांक 09.02.2024 को उत्तर के लिए

पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएँ

1204. श्री महेश साहू:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) पूरे देश में विशेषकर ओडिशा राज्य में पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल इस क्षेत्र में देखी गई विकास की गति को दर्शाती है;
(ख) क्या सरकार को महिला सशक्तिकरण पहल को लागू करने में किसी बाधा का सामना करना पड़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) अंगुल और ढेंकनाल जिलों में इस संबंध में वर्तमान में क्या पहल की जा रही है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग): सरकार पिछड़े क्षेत्रों सहित पूरे देश में महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जीवन-चक्र सतत आधार पर उनसे संबंधित सभी मुद्दों के समाधान के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि वे तेज गति और सतत राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार बन सकें।

बेहतर कार्यान्वयन और कुशल निगरानी के लिए, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए देश में लागू की जा रही मंत्रालय की सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को तीन कार्यक्षेत्रों में जोड़ा गया है। (1) महिलाओं की संरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति; (2) देश में पोषण संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0; और (3) बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य। योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(i) **मिशन शक्ति:** 'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिला संरक्षा**,** सुरक्षा और सशक्तिकरण की पहल को मजबूत करना है। यह जीवन-चक्र निरंतरता के आधार पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करके और उन्हें अभिसरण और नागरिक-स्वामित्व के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण में समान भागीदार बनाकर "महिला-नेतृत्व वाले विकास" के लिए सरकार की

प्रतिबद्धता को साकार करना चाहता है। इसका उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों का अभिसरण में सुधार के लिए रणनीतियों का प्रस्ताव करने पर ध्यान केंद्रित करना है। यह डिजिटल बुनियादी ढांचे के समर्थन, अंतिम मील ट्रैकिंग और जन सहभागिता को मजबूत करने के अलावा, पंचायतों और अन्य स्थानीय स्तर के शासन निकायों की अधिक भागीदारी और समर्थन को बढ़ावा देना चाहता है।

मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए क्रमशः दो उप-योजनाएँ 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल हैं। वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल) और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) की मौजूदा योजनाओं को संबल उप-योजना का हिस्सा बनाया गया है; जबकि प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना (पीएमएमवीवाई), उज्ज्वला, स्वधार गृह (शक्ति सदन का नाम बदला गया) और कामकाजी महिला छात्रावास (सखी निवास का नाम बदला गया), राष्ट्रीय क्रेच योजना (पालना का नाम बदला गया) की मौजूदा योजनाओं को 'सामर्थ्य' और एक नए घटक में शामिल कर दिया गया है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गैप फंडिंग यानी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हब (एचईडब्ल्यू) को समर्थ योजना में जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा प्रदान करना है। एक ऐसा वातावरण जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें। एचईडब्ल्यू के तहत देश भर में जिलों/ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर पर श्रमिकों सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता के लिए सहायता महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, स्वास्थ्य और सुरक्षा तक पहुंच सहित उनके सशक्तिकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत और योजनाबद्ध सेट अप में मार्गदर्शन, लिंक और सहायता प्रदान करती है। ।

(ii) **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण** 2.0 (**मिशन पोषण** 2.0): इस कार्यक्रम के तहत, आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को **3** प्राथमिक क्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया है: (**i) 6** वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण सहायता, स्तनपान कराने वाली माताएं और किशोरियां (**14-18** वर्ष); **(ii)** प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [**3-6** वर्ष] और (**iii)** आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी बुनियादी सुविधा।

(iii) **मिशन वात्सल्य:** मिशन वात्सल्य ने मिशन मोड में जरूरतमंद और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों तक बेहतर पहुंच और सुरक्षा के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) को शामिल किया है, जिसका उद्देश्य है: (**i)** कठिन परिस्थितियों में बच्चों का समर्थन करना और उन्हें बनाए रखना (**ii)** विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के समग्र विकास के

लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करना (**iii)** नवीन समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए हरित क्षेत्र परियोजनाओं के लिए गुंजाइश प्रदान करना (**iv)** यदि आवश्यक हो तो गैप फंडिंग द्वारा सीमेंट अभिसरण कार्रवाई करना।

मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं में प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना (पीएमएमवीवाई), पालना और महिला सशक्तिकरण हब के घटक शामिल हैं। (एचईडब्ल्यू) सामर्थ्य की, 'मिशन शक्ति' की उप-योजना ओडिशा राज्य द्वारा कार्यान्वित नहीं की गई है। तथापि, अंगुल और ढेंकनाल जिलों सहित पूरे ओडिशा राज्य में 30 वन स्टॉप सेंटर कार्यरत हैं, जिन्होंने दिनांक 30.09.2023 तक 21891 महिलाओं की सहायता की है। ओडिशा में 12 सखी निवास कार्यरत हैं, अंगुल और ढेंकनाल में एक-एक जबकि ओडिशा में 68 शक्ति सदानारे कार्यरत हैं, जिनमें अंगुल में 5 और ढेंकनाल जिलों में 3 शामिल हैं।

*****